

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

इस आशय के तथ्य संज्ञान में आए हैं कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार व्यापारियों द्वारा जमा की गयी राशि से संबंधित, स्टेट बैंक से प्राप्त चालानों के सत्यापन की समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप अवगत ही हैं कि व्यापारी द्वारा जो धनराशि चालान की 4 प्रतियों में जमा की जाती है, उसकी "C" तथा "D" Marked प्रतियां संबंधित बैंक द्वारा जमाकर्ता व्यापारी को प्राप्त करा दी जाती है। जमा के स्कौल सहित चालानों की "B" Marked प्रतियां स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत विभागीय अधिकारी को नियम 13(5) के अनुसार तथा स्कौल सहित "A" Marked प्रतियां ट्रेजरी आफिसर को नियम 13(6) के अनुसार प्राप्त करा दी जाती हैं। नियम-14 में इन चालानों के सत्यापन के संबंध में प्राविधान किए गए हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी को यह कार्य करने के लिए प्राविधानित किया गया है। वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) द्वारा स्टेट बैंक से प्राप्त "B" Marked चालानों से D.C.R. के रखरखाव के साथ-साथ फार्म-III में उक्त "B" Marked चालानों का विवरण ट्रेजरी को सत्यापन हेतु प्रेषित किए जाने की कार्यवाही निष्पादित की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर प्रशासन द्वारा ही अग्रेत्तर "B" Marked चालानों की प्रतियां D.C.R. में अंकन के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारियों को प्राप्त करा दी जाती हैं, जिनका मिलान नियम 14(1) के अनुसार कर निर्धारण अधिकारियों को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत "C" Marked चालान की प्रति से करना अपेक्षित है। यह कार्यवाही अपेक्षानुरूप नहीं की जा रही है। यह उचित नहीं है।

अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि नियम 14 के अनुरूप, व्यापारियों द्वारा जमा की गयी राशि से संबंधित, स्टेट बैंक से प्राप्त चालानों के सत्यापन की कार्यवाही अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र0 के आदेशानुसार एवं उनसे प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(एच0 एन0 राव)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ

पृ0 पत्रांक व दिनांक : उक्त

- 1-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(बी0एन0 द्विवेदी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, 30प्र0